सहकारिता के विविध आयाम *

आनंद सिन्हा

सुश्री मीना हेमाचंद्र, प्राचार्य, श्री आर.एल. शर्मा, उप-प्राचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, श्री करुप्पसामी, कार्यपालक निदेशक, विकास अर्थशास्त्र क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान श्री ए. वैद्यनाथन, भारत और विदेश से आए प्रतिष्ठित सहभागी, भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सहकर्मी तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य।

2. आज इस सम्मान्य जनसमूह को संबोधित करना मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय द्वारा सहकारी संस्थाओं के विषय में आयोजित यह सम्मेलन वर्ष 2012 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहकारी संस्थाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, सहकारिता की भावना की सराहना के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों का एक हिस्सा है। सहकारी संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का मूल विषय 'सहकारी उद्यम एक बेहतर विश्व का निर्माण करते हैं' सहकारी संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका - गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा सामाजिक एकता का निर्माण - का परिचायक है क्योंकि अंततोगत्वा इनसे दुनिया बेहतर बनती है। सामाजिक विकास और सशक्तीकरण में सहकारिता की भूमिका को सभी ने स्वीकार किया है तथा भविष्य में यह भूमिका और भी महत्त्वपूर्ण होने वाली है।

3. काफी कमजोर हो गई वैश्विक अर्थव्यवस्था के विशेष परिप्रेक्ष्य में इस सम्मेलन के लिए चुना गया मुख्य विषय 'सहकारिता के लाभों का फायदा उठाना' समीचीन है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि पिछले डेढ़ दिनों में यहां उपस्थित प्रतिष्ठित सहकर्ता, शोधकर्ता और शिक्षाविदों ने सहकारी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत गहन चर्चा और फलदायी विचार-विमर्श किया है।

4. आज के अपने संबोधन के मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं सहकारिता के कुछ पहलुओं, इसके उद्भव और सबसे महत्त्वपूर्ण, वर्तमान अशांत समय में इसकी उपयुक्तता की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा।

सहकारिता की संकल्पना

5. सहकारिता एक मूलभूत और अंतर्जात गुण है जो हमें साथ-साथ काम करने, साथ में जीने और परस्पर कल्याण तथा सुधार हेतु संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर बनाता है। किसी भी सभ्यता की बात करें, सहकारिता मानव समाज जितना ही पुराना है। सहकारिता के माध्यम से लोग अपनी सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने और व्यक्तिगत कमजोरियों से निजात पाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। मुझे एक उक्ति याद आती है जो इस प्रकार है - 'अगर आप उत्तरोत्तर बेहतर होना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धी बनें किंतु यदि आप गुणोत्तर वृद्धि करना चाहते हैं तो सहकार करें'। प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है किंतु बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के अधोगामी परिणाम हो सकते हैं जैसा कि वर्तमान संकट के बढ़ने से दिखाई दे रहा है। बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिकूल प्रलोभन और अव्यवस्थित नवोन्मेष का जन्म होता है जिसे आत्मनियामक प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसमें नियंत्रण के लिए विनियामक ढांचे के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी होगी। यह स्पष्ट है कि वास्तव में आत्म नियंत्रण की प्रणाली ही सहकारी ढांचा है और यह सभी के हित में भी होता है। लोगों के सहकार के बिना सामाजिक और आर्थिक प्रगति होना संभव नहीं होता।

6. सहकारिता की भावना सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है। पक्षियों के झुंड बनाकर भोजन जुटाने, सूचना के आदान-प्रदान करने और परभक्षियों से सुरक्षा करने में सहकारिता की भावना का पता चलता है। एक साथ उड़ते समय पक्षियों द्वारा बनाई जाने वाली संरचनाएं हवा की बदलती दिशाओं और पक्षियों के पंखों से उत्पन्न बल का लाभ लेने के लिए बड़े सक्षम होते हैं। इसके अलावा जिन पक्षियों ने भोजन मिलने वाली बढ़िया जगह ढूंढ़ ली हो, वे झुंड बनाकर दूसरे पक्षियों को भी वहां ले जाते हैं। यह भी देखा गया है कि सूचनाओं को साझा करने की विधि मधुमक्खी जैसी प्रजातियों में भी काफी विकसित अवस्था में है। इस प्रकार सहकारिता के सिद्धांत सार्वभौमिक और अत्यंत व्यापक हैं।

भारत में सहकारी आंदोलन का उद्भव

7. आर्थिक संकल्पना के रूप में सहकारी आंदोलन का भारत में 100 वर्षों से अधिक का इतिहास है। भारत में सहकारी आंदोलन का

* कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 16-17 नवंबर 2012 को सहकारी संस्थाओं के विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का समापन भाषण। श्री नेगी, श्री गोपाल, श्री अजित कुमार, सुश्री सेंटा जॉय एवं श्री यरसि जयकुमार से प्राप्त सहयोग के लिए आभार।

उद्भव उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की दुर्भिक्ष की परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पन्न हुए असंतोष तथा किसानों के वित्तपोषण के लिए संस्थागत संरचनाओं के अनुपलब्ध होने के कारण सरकारी नीति के रूप में हुआ। सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904 में कृषि सहकारी संस्थाओं के गठन की परिकल्पना की गई। बाद के विधानों के माध्यम से अन्य गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन की व्यवस्था की गई तथा सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करना तथा उसका विकास करना सुनिश्चित किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के प्रयासों से सरकार की ओर से जोर दिए जाने का पता चलता है। पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए संगठन की सहकारी पद्धति को अपनाने पर जोर दिया गया। दूसरी योजना में राष्ट्रीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य के रूप में और आर्थिक गतिविधियों[1] के संगठन में सहकारी संस्थाओं को मुख्य आधार बनाने के उद्देश्य से 'नियोजित विकास की योजना के एक हिस्से के रूप में सहकारी क्षेत्र को तैयार करने' पर जोर दिया गया।

8. सहकारिता वित्तीय गतिविधियों तक ही सीमित नहीं होती हालांकि बैंकर होने के कारण हम सहकारी संस्थाओं का अर्थ ऋण सहकारी संस्था से ही लगाते हैं। सहकारिता के अंतर्गत उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, वितरण, यातायात, सिंचाई, श्रम आदि जैसी गैर-आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आज सुबह हमें बताई गई वारणा बाजार की कहानी से बेहतर इसका उदाहरण क्या हो सकता है।

भारत में सहकारी ऋण की संरचना

9. भारत में सहकारी ऋण की संरचना को व्यापक रूप से दो हिस्सों, नामतः ग्रामीण और शहरी में विभाजित किया जा सकता है। मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार देश के 328 जिलों में शहरी सहकारी संरचना में 1,618 शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंक शामिल हैं जिनकी 8,235 शाखाएं फैली हुई हैं। दूसरी तरफ, भारत की ग्रामीण सहकारी संरचना के अंतर्गत 94,531 सहकारी संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें अल्पावधि और दीर्घावधि श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के अंतर्गत शीर्ष (राज्य) स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, मध्य (जिला) स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और आधार (गांव) स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होती हैं। दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के अंतर्गत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक (पीसीएआरडीबी) आते हैं। उक्त में से बाद वाली संस्थाएं रिजर्व बैंक के विनियामकीय क्षेत्रांतर्गत नहीं आती हैं क्योंकि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के अधीन नहीं हैं।

10. भारतीय सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में सहकारी संरचना की गहरी पैठ को स्वीकार करते हुए नीति निर्माताओं ने इसके विकास तथा मजबूती को काफी महत्त्व दिया है। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना को तरोताजा करने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2004 में प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन से संबंधित एक टास्क फोर्स का गठन किया। भारत सरकार ने टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों की सहमति से अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुज्जीवन से संबंधित पैकेज को अनुमोदन प्रदान किया है। इस पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं -

- प्रणाली की स्थिति को स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;
- प्रणाली के लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक विधिक और संस्थागत सुधार करना, और;
- प्रबंध की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय करना।

11. दीर्घावधि ऋण संस्थाओं के विकास संबंधी कार्य प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स को सौंपा गया था जिसे अन्य बातों के अलावा दीर्घावधि कृषि के संस्थागत वित्तपोषण और उस रणनीति को लागू करने में सहकारी संरचना की भूमिका, जो विवेकसम्मत वित्तीय प्रबंध के अनुरूप हो, से संबंधित व्यापक रणनीति के संबंध में सुझाव देना था। उसके बाद, दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना पर ध्यान देने के लिए एक अन्य टास्क फोर्स (अध्यक्ष :

[1] कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की सहकारी संस्थाओं के विषय पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट (मई 2009)।

श्री जी.सी. चतुर्वेदी) का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है।

मैं अब शहरी सहकारी बैंकों की बात करूंगा जिनका विनियमन मेरी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है।

शहरी सहकारी बैंकों का विकास

12. पहले के चरणों में सहकारी बैंकों को बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के क्षेत्राधिकार से विशेषरूप से बाहर रखा गया था क्योंकि वे बैंकिंग कंपनी नहीं हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम को शहरी सहकारी बैंकों पर जब 1966 में लागू किया गया, तब लगभग 1100 शहरी सहकारी बैंक थे जिनकी कुल जमा और अग्रिम राशि क्रमशः ₹1.67 बिलियन तथा ₹1.53 बिलियन थी। संख्या, आकार और प्रचालन की व्यापकता की दृष्टि से तब से अब तक जबरदस्त वृद्धि हुई है। 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की संख्या बढ़कर 1501 और उनकी जमा और अग्रिम राशि काफी बढ़कर ₹241.61 बिलियन और ₹179.27 बिलियन हो गई है। शहरी सहकारी बैंकों का तेजी से विकास 2003 तक जारी रहा जब उनकी संख्या बढ़कर 1941 तथा उनकी जमा और अग्रिम राशि क्रमशः ₹1,015.46 बिलियन एवं ₹648.80 बिलियन हो गई थी। उसके बाद, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कमजोरियों से निपटने के लिए हमारे समग्र प्रयासों के कारण 2006 में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 1,853 रह गई। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की संरचना पहले से बहुत बेहतर हो गई है। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 1618 शहरी सहकारी बैंक हैं जिनकी कुल जमा राशि ₹2,385 बिलियन तथा कुल अग्रिम राशि ₹1580 बिलियन है।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का प्रमुख लक्षण - विविधता

13. आकार, भौगोलिक वितरण, निष्पादन और वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में इस क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के बीच विविधता को देखते हुए शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र अद्वितीय है। पेशेवराना अंदाज, कंपनी अभिशासन और प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के मामले में भी शहरी सरकारी बैंकों में विविधता है।

14. जहां एक ओर नजदीक स्थित बहुत से छोटे-छोटे बैंक अस्तित्व में हैं जो उनके सदस्यों के परस्पर लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, वहीं बहुत से बड़े शहरी सहकारी बैंक भी हैं जिनकी शाखाओं का बहुत बड़ा विस्तृत नेटवर्क है, जमाकर्ताओं और उधातकर्ताओं की बड़ी संख्या है, जिनमें से कई मध्यम/विशाल कंपनियां हैं। दूसरे प्रकार अर्थात बड़े शहरी सहकारी बैंकों की सहकारी संरचना सिर्फ संगठनात्मक व्यवस्था के रूप में होती है और उनके कारोबारी मॉडल तथा लक्ष्य वाणिज्य बैंकों जैसे ही होते हैं। मैं उदाहरण के रूप में विविधता के कुछ पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

आकारानुसार वितरण

15. शहरी सहकारी बैंकों के आकार उनकी जमाओं और अग्रिमों के अनुसार अलग-अलग हैं 2.4 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास ₹10 बिलियन से अधिक की जमा राशि है जो शहरी सहकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा राशि के 45.35 प्रतिशत को दर्शाती है जबकि 15.9 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास जमा राशि ₹100 मिलियन से कम है तथा वे क्षेत्र के अंतर्गत कुल जमा राशि के सिर्फ 0.7 प्रतिशत को दर्शाते हैं। इसके अलावा, 1.2 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास ₹10 बिलियन से अधिक की अग्रिम राशि है जो इस क्षेत्र के कुल अग्रिमों के 36.5 प्रतिशत को दर्शाती है जबकि 28.4 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास ₹100 मिलियन से कम के अग्रिम हैं जो कि इस क्षेत्र के समग्र अग्रिमों के सिर्फ 1.8 प्रतिशत को दर्शाते हैं।

भौगोलिक वितरण

16. देश भर में शहरी सहकारी बैंकों का भौगोलिक वितरण भी असमान है जिसमें दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में काफी सघनता है। भारत के 28 राज्यों में से शहरी सहकारी बैंकों के 78 प्रतिशत का केंद्रण सिर्फ 5 राज्यों में हुआ है। 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें 20 से भी कम शहरी सहकारी बैंक कार्यरत हैं।

नए शहरी सहकारी बैंकों को लायसेंस प्रदान करना : विशेषज्ञ समिति (मालेगाम समिति) का गठन

17. स्थानीय लोगों में बैंकिंग सेवाओं का कवरेज बढ़ाने और नए शहरी सहकारी बैकों को लायसेंस जारी करने के औचित्य के अध्ययन के लिए रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2010 में नए शहरी सहकारी बैंकों को लायसेंस जारी करने के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति (मालेगाम समिति) की स्थापना की थी। समिति को पिछले दशक के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका और निष्पादन, शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विद्यमान विधिक ढांचे के संदर्भ में शहरी सहकारी बैंकों के गठन की आवश्यकता की समीक्षा, आर्थिक नीति में वित्तीय समावेशन पर जोर दिए जाने और बैंकिंग जगत में नए वाणिज्य बैंकों के प्रस्तावित प्रवेश पर भी समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल किया गया था। रिज़र्व बैंक समिति की सिफारिशों की जांच कर रहा है।

अब मैं सहकारी संस्थाओं से संबंधित कुछ विषयों की सामान्य रूप से तथा शहरी सहकारी बैंकों के विषय में विशेषरूप से बात करना चाहूंगा।

वैश्वीकृत संसार में सहकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता

18. यह तर्क अक्सर सुनने में आता है कि छोटी और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सहकारी संरचनाएं अधिक उपयुक्त होती हैं और यह कि वैश्वीकृत संसार में उनका अधिक औचित्य नहीं होता। किंतु मैं यह महसूस करता हूं कि सहकारी संस्थाओं की अपनी भूमिका होती है और वैश्वीकृत संसार में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। वैश्वीकरण के साथ बहुत से नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जिनका उपयोग करके सहकारी संस्थाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। सहकारी संस्थाओं के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (मई 2009) की रिपोर्ट में इस बात को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है कि वैश्वीकरण ने नए क्षेत्रों में अतिरिक्त अवसर उत्पन्न कर दिये हैं जो कि लोगों और समाज के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं किंतु उनको वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना जाता है। रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि सामाजिक क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, जल आपूर्ति, वन प्रबंध, बिजली जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें 'उपयोगिता प्रबंध में सहकारी संस्थाएं सरकारी या निजी दृष्टिकोणों की तुलना में बेहतर हो सकती हैं'। स्व-सहायता और सामूहिक हित में सहकारी संस्थाओं के स्वतंत्र और आत्म-निर्भर संस्थाओं के रूप में उभरने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

संकट के बाद के परिदृश्य में सहकारी संस्थाएं

19. वित्तीय क्षेत्र को चपेट में लेने वाले संकट से विश्व अर्थव्यवस्था अभी उबर नहीं पाई है। कुछ क्षेत्रों में वृद्धि को छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से मंदी ज्यों के त्यों बनी हुई है। पहले यह मजबूत धारणा थी कि उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों से विलग हो गई हैं और यह कि इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाले आघात उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। वैश्विक वित्तीय संकट ने इन धारणाओं को झूठा साबित कर दिया है। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संकट के लक्षण दिखाई नहीं देने पर भी व्यापार, वित्त और विश्वास माध्यमों के द्वारा संकट का प्रभाव पड़ने के कारण उनमें मंदी उत्पन्न हुई।

20. मंदी का समाज के सभी तबकों पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा किंतु कमजोर तबकों पर इसका विशेषरूप से अधिक खराब प्रभाव पड़ा। मंदी के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था को 4 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के उत्पादन का नुकसान हुआ तथा लगभग 28 मिलियन नौकरियों को खोया है। इसके कारण समावेशी वृद्धि और समान विकास पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है। इस बात की अनुभूति से संसार के लोग और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं कि समानता और समावेशिता के बिना वृद्धि और विकास से मनुष्य को टिकाऊ शांति और खुशी नहीं मिलेगी जो सभी मानव प्रयासों का अंतिम लक्ष्य होता है। वित्तीय समावेशन के बिना वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखना मुश्किल होगा क्योंकि लोगों के आर्थिक रूप से बहिष्कृत होने से सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है जिसके कारण अस्थिरता आ जाती है।

21. वित्तीय संस्थाओं की भूमिका वास्तविक अर्थव्यवस्था को सेवा प्रदान करना है न कि उसको अपने अधीन करना। यह सत्य है कि वित्तीय इंजीनीयरिंग से वित्तीय बाजार को सक्रिय बनाने में मदद नहीं मिलती। भौतिक विज्ञान में नवोन्मेष से निश्चित उत्पाद और सेवाएं प्राप्त होती हैं किंतु वित्तीय बाजार में नवोन्मेष करने से कभी-कभी जटिल उत्पाद तैयार हो जाते हैं जिनके परिणाम अनिश्चित होते हैं और उनसे शेयर धारकों और समाज के स्थान पर कर्मचारियों को अधिक लाभ होता है। स्व-सहायता और परस्पर सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित सहकारी संस्थाएं वंचित लोगों को भी साथ में लेकर मूलभूत बैंकिंग गतिविधियों में शामिल करती हैं और उनका काम यही होना चाहिए। संकट के बाद की दुनिया में उन्हें और अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है।

22. वैश्विक वित्तीय संकट से मिली सीख हमें आधारभूत बैंकिंग को निवेश बैंकिंग अथवा केसीनो बैंकिंग (जिस प्रचलित नाम से इसे लंबे समय से जाना जाता रहा है) से अलग रखने की दिशा में ले जाती है। केसीनो बैंकिंग का अपना स्थान है किंतु संकट के बाद के समय में मूलभूत बैंकिंग का महत्त्व तथा इसे अधिक जोखिमपूर्ण बैंकिंग से अलग रखने की अहमियत के बारे में जोरदार वकालत की गई है। अमरीका में वोल्कर नियम तथा यूके में विकर की रिपोर्ट के अनुसार बनाए गए विनियामकीय ढांचे में इस अलगाव की सिफारिश की गई है। भारत में बैंकों के संगठनात्मक ढांचे ने निवेश बैंकिंग की जोखिमपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित रखना सुनिश्चित किया है और इनका मूलभूत बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र में विपरीत असर नहीं पड़ता है।

सहकारी संस्थाओं का योगदान

23. सहकारी बैंकों और अन्य ऋण सहकारी संस्थाओं के योगदान का मूल्यांकन सामान्यतः आर्थिक रूप से किया जाता है। इन संस्थाओं की अक्सर सराहना की गई है और कभी-कभी अपेक्षाकृत कम संसाधनों वाले लोगों के आर्थिक उन्नयन में उनकी उपयोगिता (अथवा उनकी कमी) के संदर्भ में उनकी आलोचना भी की गई है। किंतु सामान्यतः सामाजिक व्यवहार को लोकतांत्रिक बनाने और विशेष रूप से आर्थिक व्यवहार को लोकतांत्रिक बनाने में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है। जिस समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली तेजी से बिखर रही है वहां सहकारी संस्थाओं को भी वैकल्पिक सामाजिक सहायता प्रणाली माना जा सकता है।

लोकतंत्र बनाम दक्षता

24. सहकारी संरचना के बहुत से सहभागी और विचारक लोकतंत्र और दक्षता के बीच के नाजुक संतुलन स्थापित करने की दुविधा का सामना कर रहे हैं क्योंकि अक्सर दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। किंतु लागों की नजर में सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता को बहाल करने के लिए हमें सही प्राथमिकताओं का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा। सहकारी संस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है - '..... सहकारी संस्था लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित संगठन के माध्यम से एक सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संगठित लोगों का समूह है जो कि अपेक्षित पूंजी के लिए समतुल्य अंशदान करते हैं और जिन कार्यों में सदस्यों ने सक्रिय रूप से सहभागिता की हो उसके जोखिम और लाभों के वाज़िब हिस्से को स्वीकार करते हैं'। मेरी नजर में लोकतंत्र का त्याग करके दक्षता लाने का कोई भी प्रयास, सहकारी समस्या का गैर-सहकारी हल निकालना होगा।

25. सहकारी संस्थाओं की सफलता सदस्यों के सक्रिय जुड़ाव और आर्थिक सहभागिता पर निर्भर होती है। किंतु ऋण सहकारी संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में सदस्यों की सहभागिता बहुत कम देखी गई है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के शहरी सहकारी बैंकों के बारे में किए गए हाल के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है। अध्ययन से पता चला है कि बहुत से सहकारी बैंकों में मतदान का प्रतिशत कुल सदस्यता का 5 से 10 प्रतिशत ही रहा। इससे सहकारी संगठनों के वास्तविक लोकतांत्रिक स्वरूप पर प्रश्न खड़ा होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं हैं कि लोकतंत्र और सदस्यों का नियंत्रण ही सहकारी संस्थाओं की पहचान हैं जो सहकारी बैंकिंग को वाणिज्यिक बैंकिंग से अलग करते हैं। सदस्यों की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी शहरी बैंकों के राष्ट्रीय महासंघ और राज्य महासंघ जैसी स्व-शासित संस्थाएं और अधिक सक्रियतापूर्वक कार्य कर सकती हैं।

जमाकर्ताओं की सहभागिता

26. उधारकर्ताओं को शहरी सहकारी बैंक का सदस्य बनना पड़ता है और उन्हें मतदान अधिकार मिलता है किंतु जमाकर्ताओं को सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं होती है। परिणामतः जमाकर्ता, जो कि शहरी सहकारी बैंकों के बड़े जोखिमधारक होते हैं, नाममात्र के अथवा सह-सदस्य बनाए जाते हैं जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। नए शहरी सहकारी बैंकों को लायसेंस देने से संबंधित विशेषज्ञ समिति (मालेगाम समिति) ने भी यह पाया है कि सदस्यों की संख्या अधिक होने के बात भी शहरी सहकारी बैंकों में सदस्यों की सहभागिता सीमित रही है क्योंकि उनमें से अधिकांश को मतदान का अधिकार नहीं होता है। समिति ने टिप्पणी की है कि शहरी सहकारी बैंकों का नियंत्रण उधारकर्ताओं के हाथों से निकलकर जमाकर्ताओं के हाथों में जाना चाहिए और जमा राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मतदान करने वाले सदस्यों के पास होना चाहिए।

आकार और सहयोगशीलता की समस्या

27. सामुदायिक सेवा पर जोर दिए जाने सहित संघटित रूप से वृद्धि करने के घोषित सिद्धांत के बाद भी आकार और सहयोगशीलता के बीच दुविधा है। सहकारी समूह छोटा होने पर सबसे अधिक मजबूत होता है किंतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने के लिए सहकारी उद्यम का विशिष्ट आकार होना भी आवश्यक होता है। आर्थिक व्यवहार्यता अक्सर वाणिज्यिक रूप ले लेती है जिसके परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं के सदस्य सिर्फ ग्राहक अथवा हिस्सेदार बन कर रह जाते हैं जिनको संगठन के लक्ष्य निर्धारण और नियंत्रण का न तो कोई मौका मिलता है और न ही इस संबंध में उनकी कोई रुचि होती है।

28. विशाल सहकारी समितियों के सदस्य विविध उप-समूहों के होते हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों में आवास करते हैं, अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक वर्ग से संबंध रखते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती है। इस प्रकार की सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की सामाजिक संबद्धता, समूहों के प्रति निष्ठा की उनकी भावनाएं और सक्रिय सहभागिता में उनकी रुचि कम हो सकती है।

ऋण सुपुर्दगी माध्यमों की बहुलता

29. देश के वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी हिस्सेदारों को धन्यवाद जिन्होंने वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया है। बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट्स के माध्यम से उनकी पहुंच भी बढ़ गई है। इस परिदृश्य में कुछ लोग सामान्य रूप से ऋण देने वाले औपचारिक माध्यमों और विशेष रूप से सहकारी बैंकों के अस्तित्व के विरूद्ध बाते कर सकते हैं। किंतु देश में बैंक रहित विशाल क्षेत्र और विविधतापूर्ण जनसंख्या को देखते हुए लोगों को विकल्प उपलब्ध कराने के पक्ष में अधिक मजबूत तर्क उपलब्ध हैं। देश में रहने वाले विभिन्न प्रजातीय और सामाजिक समूहों की आवश्यकतानुसार उत्पादों और सेवाओं के तैयार करने के लिए सहकारी बैंकिंग का माध्यम, जो कि मूल रूप से समुदाय आधारित बैंकिंग मॉडल है, अधिक अनुकूल है। ऋण देने वाले माध्यमों और चिट फंडों के विभिन्न अनौपचारिक रूपों का, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, अस्तित्व होने से जनसंख्या के विभिन्न समूहों के लिए विशिष्ट बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता को बल मिलता है। सहकारी बैंकिंग प्रणालियों द्वारा समुचित प्रयास न किए जाने पर इस जिम्मेदारी का निर्वाह वाणिज्य बैंकों को करना पड़ा। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सहकारी बैंकिंग के लिए कारोबार के बड़े अवसर उपलब्ध हैं।

वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उनकी उपलब्धता

30. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उनकी उपलब्धता में बहुत अधिक अंतर है किंतु दुर्भाग्यवश वित्तीय समावेशन न होने का परिदृश्य लगभग समान है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की न तो पर्याप्त उपलब्धता है न ही उन तक लागों की पहुंच है किंतु शहरी क्षेत्रों में उनकी पर्याप्त उपलब्धता होने के बाद भी गरीबों की उन तक पहुंच नहीं है। शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग वित्तीय रूप से बैंक रहित गांवों में रह रहे उनके साथियों की ही तरह वंचित हैं। इसके कारण वित्तीय समावेशन के मांग पक्ष के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित होता है। मेरा मानना है कि सहकारी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा संचालित संगठन होने के कारण वे वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास जैसे मांग के मुद्दों से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। वस्तुतः, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सहकार के सिद्धांतों में से एक है और मांग पक्ष के मुद्दों का हल निकालने के क्रम में वित्तीय समावेशन के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पर बहुत काम किया जाना है।

कम संसाधनों वाले लोगों के लिए सहकारी संस्थाएं

31. आकार में बहुत अधिक भिन्नता भारतीय सहकारी बैंकों की विशेषता है। इनके तुलन पत्रों का आकार कुछ लाख रुपयों से लेकर हजारों करोड़ तक का है। किंतु, चाहे बड़ी हों या छोटी, सहकारी संस्थाएं मूलतः अल्प संसाधनों वाले लोगों के लिए होती हैं। बाजार के इस घटक का वाणिज्य बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्वों के हिस्से के रूप में वित्तपोषण करते हैं जबकि यह कार्य सहकारी बैंकों का मूल कार्य होता है। यह महान कार्य सहकारी संस्थाओं जैसे छोटे संस्थानों द्वारा किया जा रहा हो तो यह कहना पड़ेगा कि 'छोटी संस्थाएं बढ़िया होती हैं'।

32. मैं पहले ही कह चुका हूं कि सहकारी बैंक मूलतः आधारभूत बैंकिंग कार्य करते हैं और उसी दायरे में रहते हैं। हालांकि, विशेष रूप से, बड़े सहकारी बैंक 'बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने के चक्कर में वाणिज्य बैंकों की भांति अक्सर उच्च मूल्य के ऋणों और बड़ी जमा राशियों के फेर में पड़ जाते हैं। भारत जैसे देश में, जहां पर जनसंख्या का बड़ा तबका बैंक रहित है, सहकारी संस्थाओं को उनके प्राथमिक उद्देश्य के रूप में छोटे प्रतिभागियों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखने की आवश्यकता होगी और उन्हें बड़े होने की प्रतियोगिता से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए'।

सहकारी बैंकों का अभिशासन और विनियमन

33. मैंने कार्यक्रम की रूप रेखा में देखा कि सम्मेलन का प्रारंभ 'नीति, कानून, अभिशासन और पोषक वातावरण' पर विचार-विमर्श के साथ हुआ। बैंकिंग क्षेत्र के विनियामक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। इसलिए मैं अभिशासन और विनियमन संबंधी मामलों की और विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा।

कंपनी अभिशासन तथा सहकार के सिद्धांत

34. कंपनी अभिशासन का संबंध एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें सभी हिस्सेदारों के हितों को ध्यान में रखा जाता है तथा उनके बीच तकरार का समाधान किया जाता है। कंपनी अभिशासन की संकल्पना सहकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए सिद्धांतों से

अधिक भिन्न नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ (आईएसी) द्वारा स्वीकार किया गया सहकार का एक प्रमुख सिद्धांत 'सदस्यों की आर्थिक सहभागिता' है जो सहकारी संस्थाओं की पूंजी का सदस्यों द्वारा बराबरी से अंशदान करने और लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करने को दर्शाता है। अधिशेष का बराबरी से उपयोग करना विभिन्न हिस्सेदारों के हितों का ध्यान रखने का एक ऐसा ही बढ़िया संतुलनकारी कदम है। सहकारी संस्थाओं का अंतिम उद्देश्य सिर्फ लाभार्जन नहीं होता है जैसा कि वाणिज्यिक संस्थाओं में देखा जाता है, बल्कि यह समाज के समान आर्थिक विकास के महान उद्देश्य को प्राप्त करने का एक माध्यम मात्र है।

35. यदि सहकारी बैंक का कोई हिस्सेदार इक्विटी पर अधिक से अधिक प्रतिलाभ की आशा करता है तो इसका अर्थ यह होगा कि यद्यपि वह सहकारी संस्था का हिस्सेदार है किंतु उसका बर्ताव वाणिज्यिक संस्था के हिस्सेदार के रूप में अधिक दिखाई देता है। दूसरी तरफ, यदि वाणिज्यिक संस्था के किसी हिस्सेदार का सहकारी अभिशासन और सहकारी सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर विश्वास हो तो वह नियमानुसार वाणिज्यिक संस्था का हिस्सेदार हो सकता है किंतु उसका बर्ताव सहकारिता के अधिक करीब होगा। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि 'सहकार' शब्द का संबंध ढांचागत और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा मानसिक अवस्था से अधिक है।

अभिशासी संरचना में व्यवसायिकता

36. सहकारी संस्थाओं की अभिशासी संरचना की और अधिक व्यावसायिकता की आवश्यकता के बारे में कोई विवाद की स्थिति है ही नहीं। बहुत से लोग राज्य सरकार (राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत) और रिज़र्व बैंक के दोहरे नियंत्रण को सहकारी बैंकों की एक खामी मानते हैं। दोहरे नियंत्रण के मुद्दे के समाधान से संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टीएएफसीयूबी) की संस्थागत कार्यप्रणाली ने संतोषप्रद कार्य किया है और कमजोर सहकारी बैंकों को बिना व्यवधान के समाप्त करने में मदद की है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को उनके बोर्डों में कम से कम दो पेशेवर निदेशकों का चुनाव सहयोजन करना सुनिश्चित करने के संबंध में निदेश दिया है। नए शहरी सहकारी बैंकों को लायसेंस प्रदान करने से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने नए शहरी सहकारी बैंकों को लायसेंस प्रदान करने की पूर्व शर्त के रूप में निदेशक मंडल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बीच में पेशेवर प्रबंध बोर्ड का गठन करने की सिफारिश की है। अभिशासन संबंधी मुद्दों के सरकार के साथ सुलझ जाने पर अंतिम नीति तैयार की जाएगी।

प्रबंध गुणवत्ता का महत्त्व

37. सहकारिता की सफलता के लिए मजबूत सहकारी कानूनों का होना आवश्यक पूर्व शर्त होती है। हालांकि, मुझे अरस्तु के कथन का स्मरण हो रहा है जिन्होंने कहा था 'किसी शहर का शासन एक अच्छे आदमी के द्वारा होना उसके लिए अच्छा होगा बजाय इसके कि शहर का शासन अच्छे कानूनों द्वारा हो'। सहकारी संस्थाओं के प्रबंध के संदर्भ में मेरा मानना है कि अच्छे कानूनों से अधिक हमें उनको ठीक से लागू करने की तथा मजबूत अभिशासन प्रणाली की आवश्यकता है। सहकारी ऋण संस्थाओं को मजबूत अभिशासन प्रणाली तैयार करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदस्यों को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

बासेल-II और शहरी सहकारी बैंक

38. अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो बहुत से उन्नत देशों में सहकारी बैंकों पर बासेल II के मानदंड लागू हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न विनियमित संस्थाओं के प्रणालीगत महत्त्व और दक्ष लोगों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उन पर बासेल मानकों को लागू करने के संबंध में सुविचारित और क्रमिक दृष्टिकोण को अपनाया है। वर्तमान में, पूंजी गणना के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर बासेल I की शर्तें लागू हैं। बासेल I समझौते की बाजार जोखिम प्रबंध से संबंधित विशिष्ट शर्तों को, जिन्हें व्यापक तौर पर बासेल II में भी शामिल किया गया है, विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाले अपेक्षाकृत बड़े शहरी सहकारी बैंकों पर लागू किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय शहरी सहकारी बैंकों के आकार और बनावट की विविधता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में बासेल II की शर्तों को लागू करने के बारे में यथा समय उचित निर्णय लेगा। भारतीय शहरी सहकारी बैंकों पर बासेल II लागू करने के संभावित प्रभाव के बारे में वर्तमान में कोई प्रायोगिक अध्ययन नहीं हुआ है।

39. कुछ यूरोपीय देशों में किए गए मात्रात्मक प्रभाव के अध्ययन से संकेत मिलता है कि सहकारी संस्थाओं के खुदरा निवेश और आवासीय बंधक ऋणों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नए विनियमों से विनियामकीय पूंजी की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता के संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। इन परिणामों की पुष्टि

इटली के बहुत से सहकारी बैंकों के अध्ययन से भी हुई है। हालांकि, अध्ययन से यह प्रकट होता है कि पूंजी आवश्यकता की तुलना में ऋण जोखिम के संबंध में हुए सुधार का असर 90 दिनों[2] से अधिक के 150 प्रतिशत जोखिम भारित बकाया ऋणों के शुरू होने से कम हो जाएगा। संयोग से, ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्ति अभी भी कुल अग्रिमों के 7.0 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है। भारतीय सहकारी बैंकों का वास्तविक क्षेत्र में निवेश सीमित है किंतु अन्य निवेश जोखिमपूर्ण हैं तथा उनमें और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है। भारत में बासेल II मानकों के लागू करने के संबंध में यह बताना महत्त्वपूर्ण है कि पूंजी जुटाना भारतीय सहकारी बैंकों के लिए कठिन होगा जो कि विश्व में अन्यत्र ऋण संघों से भिन्न स्थिति है। यद्यपि नीतिगत उपायों के माध्यम से सहकारी बैंकों को नवोन्मेषी साधनों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति प्रदान की गई है किंतु इन साधनों के प्रयोग के माध्यम से पूंजी संवर्धन करने में अधिक बैंक सफल नहीं हुए हैं।

40. सहकारी बैंकों पर बासेल II ढांचा लागू करने के प्रभाव के संबंध में विरोधी विचार यह है कि विनियामकीय लागत कम करने के उद्देश्य से मानक दृष्टिकोण के कारण सहकारी बैंकों द्वारा उच्च रेटिंग वाले उद्यमों को ऋण प्रदान करना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि सहकारी बैंकिंग प्रणाली के अधिकांश ग्राहक लघु, बिना रेटिंव वाले उद्यम होते हैं जिनका जोखिम भार 100 प्रतिशत है।

41. बासेल II के स्तंभ I के दृष्टिकोण पर ध्यान दिए बिना स्तंभ II को अपनाना जोखिम प्रबंध के लिए प्रणालीगत महत्त्व के शहरी सहकारी बैंकों के लिए वांछनीय प्रतीत होता है। बासेल समझौते के दूसरे स्तंभ के अंतर्गत ऋण जोखिम के बैंक के स्वयं के आकलन, जोखिम का सामना करने के लिए पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण तथा जोखिम प्रबंध और नियंत्रण प्रणाली के प्रभावी प्रावधान करने पर जोर दिया जाता है। विनियामक द्वारा अनिवार्य नहीं किए जाने के बावजूद अपेक्षाकृत बड़े शहरी सहकारी बैंक बेहतर जोखिम प्रबंध और उन्नत आंतरिक अभिशासन के लिए स्वेच्छा से बासेल II के स्तंभ II में परिकल्पित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) को अपनाने पर विचार कर सकते हैं जिससे उनको तनाव के प्रति लचीलेपन के संबंध में अपना मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

42. बासेल II के स्तंभ III के तहत प्रकटीकरण सभी सार्वजनिक संस्थाओं से अपेक्षित है। जो संस्था सदस्यों द्वारा संचलित हो और जिसके हिस्सेदार सामान्यतः ग्राहक हों उनसे यह अपेक्षा और अधिक होती है। संबंधित जानकारी उपलब्ध होते ही स्वेच्छापूर्वक प्रकट की जा सकती है। छोटे आकार वाले बैंकों के मामले में, स्थायी जोखिम पृष्ठभूमि जिनकी विशेषता होती है, इस प्रकार की जानकारी वार्षिक आधार पर प्रकट की जा सकती है।

प्रौद्योगिकी को अपनाना - वित्तीय समावेशन

43. मैं इस बात का पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि सहकारी संस्थाएं अपने कारोबारी मॉडल की विशेषता के कारण वित्तीय समावेशन की पहलों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हैं। सांगठनिक ढांचा (सदस्यों द्वारा निर्देशित), स्थानीय ग्राहकों की विशाल संख्या, सहज पहुंच और नजदीक स्थित मित्र के रूप में प्रतिष्ठा शहरी सहकारी बैंकों की शक्ति हैं जिनके कारण वे वित्तीय समावेशन के विस्तार और सघनीकरण का काम कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं - (i) शून्य अथवा न्यूनतम शेष राशि वाले नो-फ्रिल्स खातों की शुरुआत, (ii) लघु खातों के संबंध में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की आवश्यकताओं में छूट, (iii) नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन, (iv) 12 प्रतिशत के न्यूनतम जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को लगातार बनाए रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों को अनिवार्य शेयर लिंकिंग से छूट प्रदान करना, (v) व्यक्तिगत आवास ऋणों के लिए अनुमत ऋण सीमा में संशोधन करना, (vi) शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन क्षेत्र का विस्तार करना, (vii) शहरी सहकारी बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के नियमें को उदार बनाना, (viii) सुप्रबंधित बैंकों को अपनी शाखा से दूर एटीएम मशीन लगाने की अनुमति प्रदान करना, (ix) शहरी सहकारी बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पांडेंट्स और बिजनेस फेसिलिटेटर्स के प्रयोग की अनुमति प्रदान करना, (x) स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को ऋण प्रदान करने की अनुमति देना आदि।

44. प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन के प्रयासों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से वित्तीय लेनदेनों की लागत कम होती है, वित्तीय संसाधनों के वितरण में सुधार होता है और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होती है और वित्तीय संस्थाओं का कौशल बढ़ता है। भारत में हमने बैंकों के नेतृत्व वाले मॉडल को अपनाया है जिसमें प्रौद्योगिकी का लाभप्रद प्रयोग करने की संभावना तलाशी जा रही है। इस हेतु वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सितंबर

[2] एस. कॉस्मा एस.: सहकारी बैंकिंग पर बासेल II का प्रभाव।

2011 तक उनकी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान को अपनाने की सूचना दी गई थी। देश में वित्तीय समावेशन के लिए अपनाए गए विविध मार्गी दृष्टिकोण में मोबाइल, कार्ड्स, माइक्रो एटीएम, शाखाओं, कियोस्क आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से लागू करने पर ध्यान दिया गया है। इस हेतु प्रयोग किए जा रहे फ्रंट एंड उपकरणों का बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान से लगातार समन्वय करना होगा। इसलिए शहरी सहकारी बैंकों को उचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वित्तीय समावेशन के प्रयास तेज करने की सलाह दी गई थी।

45. शहरी सहकारी बैंकों में प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने का स्तर निम्न है। 31 मार्च 2012 की स्थिति में सिर्फ 267 शहरी सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान को अपनाया है जो कि 16.5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। इन बैंकों में लाभ का स्तर कम होना, कोर बैंकिंग समाधान लागू करने की लागत अधिक होना, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरुकता की कमी, तकनीकके साथ ही साथ वेंडर प्रबंधन गुणों की कमी ने उन्हें कोर बैंकिंग समाधान को अपनाने में बहुत पीछे रखा है।

46. शहरी सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान को अपनाने में आने वाली सभी बाधाओं का उल्लेख करने के बाद भी मुझे इस बात पर संशय नहीं है कि वित्तीय समावेशन में कोर बैंकिंग समाधान महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। कोर बैंकिंग समाधान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में देरी से पदार्पण करने से शहरी सहकारी बैंक लाभ की स्थिति में हैं क्योंकि वे कोर बैंकिंग समाधान और वित्तीय समावेशन -दोनों के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं। वाणिज्य बैंकों ने वर्तमान कोर बैंकिंग समाधन प्लेटफॉर्म को फ्रंट एंड उपकरणों और कोर बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराने वाली मोबाइल प्रौद्योगिकी से समायोजित करने में जिन समस्याओं का सामना किया, शहरी सहकारी बैंकों को उनका सामना करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक इस पूरे क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से कोर बैंकिंग समाधान लागू करने के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है।

उपसंहार

47. सहकार सदियों पुरानी धारणा है जिसने समय की अनिश्चितताओं को झेला है और समाज की बढ़िया सेवा की है। मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में भी सहकार की प्रासंगिकता बनी रहेगी। किंतु बदलते समय के साथ वित्तीय प्रणाली की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार इसे स्वयं को बदलते हुए इसे पुन:स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार के सम्मेलन सहकारी क्षेत्र के समक्ष के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंभीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के लिए आदर्श मंच प्रस्तुत करते हैं और आगे की राह तय करने में मदद करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श से नीति निर्माताओं और अन्य सभी हिस्सेदारों को सहकारी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए ऊर्जावान करने में मदद मिलेगी। मैं देश की सभी ऋण तथा गैर-ऋण सहकारी संस्थाओं की सफलता की कामना करता हूं।

48. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की इस उक्ति के साथ अपना संबोधन समाप्त करता हूँ: 'प्रतिस्पर्धा कुछ हद तक उपयोगी रही है किंतु आज की स्थिति में हमें सहकार करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि प्रतिस्पर्धा की समाप्ति पर शुरू होता है'।

धन्यवाद !